बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

आ0सं0–प्र०3 / स्था०–01–02 / 2024 पटना, दिनांक :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या–7257 / 2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–26 दिनांक–01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0 01 / 2019 के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्त्तो के अधीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम / गृह जिला	पिता / पति का नाम / स्थायी पता	पंजीयन सं०	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नंबर	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि / अनुशंसित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अमन कुमार पटना	श्री अजय कुमार शर्मा तेज प्रताप नगर, अनिशाबाद, पो0–अनिशाबाद, थाना–बेऊर, जिला–पटना, बिहार–800002	BR001500101114971	386	20-12-1999	आ०क०व० / आ०क०व०	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों / अभिलेखो के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य / जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि / पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(47) आई०सी० मैनेजर

5. अगर अभ्यर्थी पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हे योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरांत अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नवपदस्थापन कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।

10 नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0–01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन प्रेषित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, वाल्मी, पटना/सभी पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक), पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), पथ निर्माण विभाग/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–प्र०3/स्था०–01–02/2024 4885 (E) पटना, दिनांक :– 19/7/2026

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

17.07.26